[2018] 2 एस. सी. आर. 261

/

महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण v.

शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑर्स।

/

(सिविल अपील सं. 2018 की 1836) 12 फरवरी, 2018

[रंजन गोगोई और आर**.** भानुमती**,** जे**.** जे**.]**

निविदा-ई-निविदा-अपीलकर्ता-महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण (एम. एच. ए. डी. ए.) ने "पुनर्विकास परियोजना के संबंध में तकनीकी डिजाइनिंग, समन्वय और अन्य विभिन्न कार्यों" के काम के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए ई-निविदा नोटिस जारी किया-पहला प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता न्यायालय कि उसने अपीलकर्ता की वेबसाइट पर अपनी तकनीकी और वित्तीय बोली अपलोड की थी और हालांकि उसने 'फ्रीज बटन' दबाया था, लेकिन उसे प्रस्तुत बोली की स्वीकृति नहीं मिल सकी-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन. आई. सी.) ने यह विचार रखा कि प्रणाली में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी और पहले प्रतिवादी द्वारा बोली जमा करने की स्वीकृति के अभाव में, वह अपनी दोषपूर्ण बोली-लिखित याचिका-पर किसी भी विचार का हकदार नहीं था।उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश गलत-एन. आई. सी., जिसने पोर्टल विकसित किया था, ने न्यायालय के समक्ष हलफनामे पर कहा था कि एम. एच. ए. डी. ए. के साथ संयुक्त रूप से भी दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति संभव या संभव नहीं है-इसके अलावा, पहले प्रतिवादी की किसी भी समय पर प्रतिक्रिया की कमी जब प्रणाली बोली दस्तावेजों की स्वीकृति उत्पन्न करने में विफल रही थी, ऐसी स्थिति में जहां पहले प्रतिवादी ने 'फ्रीज बटन' दबाने का दावा किया था; अन्य बोलीदाताओं के संबंध में शपथपत्र की पीढ़ी और प्रौद्योगिकी में किसी भी गड़बड़ी का अभाव दृढ़ता से संकेत देगा कि पहले प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बोली एक वैध बोली नहीं थी-उच्च न्यायालय द्वारा पहले प्रतिवादी के पक्ष में जारी किए गए निर्देश वस्तुतः उक्त प्रतिवादी को दूसरा अवसर प्रदान करते हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

/

/

/

/

/

/

261 ए.

262 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 2 एस. सी. आर.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** निर्णय के लिए पहला मुद्दा यह उठता है कि क्या पहले प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड किए गए बोली दस्तावेज **(**दस्तावेजों**)** को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है या अपरिवर्तनीय रूप से खो गया है।दूसरा मुद्दा है-यह मानते हुए कि पहले प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेज **(**ओं**)** पुनर्प्राप्त करने योग्य हैं, क्या पहला प्रत्यर्थी गुण-दोष के आधार पर उसके द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर विचार करने का हकदार होगा जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है।**[**पैरा **6] [264-**एफ-जी**]**

/

2. एन**.** आई**.** सी**.** द्वारा दायर जवाबी शपथपत्र में कहा गया है कि पहले प्रतिवादी द्वारा अपलोड की गई बोली अमान्य थी क्योंकि उक्त प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने 'फ्रीज बटन' नहीं दबाया था जो अकेले बोली प्रक्रिया को पूरा करता।इस संबंध में, एन**.** आई**.** सी**.** ने आगे कहा है कि संबंधित समय अवधि के दौरान सर्वर में कोई समस्या नहीं थी और **427** बोली दस्तावेज **(**अन्य निविदाओं से संबंधित**)** उक्त तिथि यानी **27** जुलाई**, 2017** को **1200** घंटे से **1300** घंटे के बीच अपलोड किए गए थे।एन**.** आई**.** सी**.** ने अपने शपथपत्र में आगे कहा है कि यदि पहले प्रतिवादी ने **27** जुलाई**, 2017** को **1216** बजे दस्तावेज़ अपलोड किए थे और उसे बोली जमा करने की स्वीकृति नहीं मिली थी, तो उसके पास मदद के लिए एन**.** आई**.** सी**.** से संपर्क करने के लिए **44** मिनट थे, लेकिन मदद नहीं मांगी गई थी।इस संबंध में, एन**.** आई**.** सी**.** ने आगे कहा है कि पहले उत्तरदाता-बोलीदाता ने पहले महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल में ई-निविदा में भाग लिया था और इस प्रकार वह पूरी प्रक्रिया से परिचित था।**[**पैरा **9] [265-**एफ-एच**]3.** पोर्टल विकसित करने वाले एन**.** आई**.** सी**.** ने न्यायालय के समक्ष शपथपत्र पर कहा था कि महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति संभव या संभव नहीं है।इसके अलावा, पहले प्रत्यर्थी की किसी भी समय पर प्रतिक्रिया की कमी जब प्रणाली ऐसी स्थिति में बोली दस्तावेजों की स्वीकृति उत्पन्न करने में विफल रही थी जहां पहले प्रत्यर्थी ने 'फ्रीज बटन' दबाने का दावा किया था**;** अन्य बोलीदाताओं के संबंध में स्वीकृति का उत्पादन और प्रौद्योगिकी में किसी भी गड़बड़ी का अभाव दृढ़ता से इंगित करेगा कि पहले प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बोली एक वैध बोली नहीं थी और उच्च न्यायालय द्वारा पहले प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी किए गए निर्देश वस्तुतः उक्त प्रत्यर्थी को दूसरा अवसर प्रदान करते हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **10] [266-**ए-डी**]** ए

/

/

/

/

/

/

263

महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण बनाम शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2018 की सिविल अपील संख्या 1836।

2017 की रिट याचिका (एल) संख्या 2070 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 28.09.2017 से।

दुष्यंत दवे, सीनियर एड., चिराग एम. श्रॉफ, सुश्री नेहा सांगवान, एड.अपीलार्थियों के लिए।

/

आत्माराम नाडकर्णी, ए. एस. जी., नीरज किशन कौल, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता।कुणाल विजानी, सुश्री पद्मा लक्ष्मी अयंगर, प्रणय गोयल, किंगशुक बनर्जी, डॉ. निशेष शर्मा, सुश्री सीमा बेनगनी, मेरुसागर सामंत्रे, सुश्री लिंगनेवा गुरमीत सिंह मक्कर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रंजन गोगोई, जे. 1.अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी-महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण ने अपने मुख्य अधिकारी के माध्यम से पुनर्विकास परियोजना के संबंध में रहने योग्य अस्थायी पारगमन शिविरों और अन्य विभिन्न कार्यों के निर्माण के साथ-साथ पुनर्वास/बिक्री/वाणिज्यिक/सुविधाओं के लिए तकनीकी डिजाइनिंग, समन्वय और निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए ई-टेंडर नोटिस जारी किया।बोली लगाने वालों को अपनी बोलियां दो चरणों यानी तकनीकी और वित्तीय में जमा करनी थीं।उन्हें योग्यता के लिए अनुरोध-सह-प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर. एफ. क्यू. सह आर. एफ. पी.) दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुभवों और अन्य शर्तों का पालन करना आवश्यक था।ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 17 मई, 2017 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया और अंत में 27 जुलाई, 2017 को 1300 बजे तक बढ़ा दिया गया।

/

/

/

3. प्रथम प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने अपीलार्थी की वेबसाइट पर 27 जुलाई, 2017 को लगभग 1216 बजे अपनी तकनीकी और वित्तीय बोली अपलोड की थी।प्रथम प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता ने दावा किया कि हालांकि उसने 'फ्रीज बटन' दबाया था, लेकिन उसे प्रस्तुत बोली की स्वीकृति नहीं मिल सकी।इसके बाद, पहले प्रतिवादी और अपीलार्थी के बीच पत्राचार किए गए/आदान-प्रदान किए गए, जिसके बाद पहले प्रतिवादी को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन. आई. सी.) को भेजा गया, जिसने ई-पोर्टल तैयार किया था और उसका रखरखाव किया था, जिस पर बोलियां प्रस्तुत की गई थीं।जैसा कि एन. आई. सी. ने यह विचार लिया कि प्रथम प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्वीकृति का अभाव दबाव डालने में इसकी चूक के कारण था

/

/

/

/

''फ्रीज बटन' और चूंकि प्रणाली में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, अन्य बोलीदाताओं के पक्ष में उत्पन्न पावती से पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया था, इसलिए प्रथम प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता अपनी अन्यथा दोषपूर्ण बोली पर किसी भी विचार का हकदार नहीं था।इसके कारण रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें से यह अपील उत्पन्न हुई है जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 28 सितंबर, 2017 के आक्षेपित निर्णय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए थेः

/

“15. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम एन. आई. सी. को याचिकाकर्ताओं के बोली दस्तावेजों वाली फाइलों तक पहुंचने और प्रत्यर्थी नं.2 एम. एच. ए. डी. ए. जो उक्त फाइलों को डिक्रिप्ट करेगा और एन. आई. सी. की सहायता से याचिकाकर्ताओं के बोली दस्तावेजों को "वैध बोली" के रूप में मानेगा और याचिकाकर्ताओं की तकनीकी बोली को तुरंत खोलेगा क्योंकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एम. एच. ए. डी. ए. के विद्वान वकील ने 07.08.2017 पर हमारे सामने एक बयान दिया था कि बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है और किसी भी मामले में हम परियोजना को रोकने का इरादा नहीं रखते हैं।यदि

याचिकाकर्ता की बोली तकनीकी शर्तों को पूरा करती है, तो उसकी वित्तीय बोली पर अन्य तीन बोलीदाताओं के साथ विचार किया जा सकता है जो पहले से ही मैदान में हैं। "

/

/

4. महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण द्वारा इस अपील में उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

/

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत ए. दवे, प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल-रिट याचिकाकर्ता और एन. आई. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी को सुना है।

/

6. मामला एक छोटी सी दिशा के भीतर है।निर्णय के लिए पहला मुद्दा यह उठता है कि क्या पहले प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड किए गए बोली दस्तावेज (दस्तावेजों) को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है या अपरिवर्तनीय रूप से खो गया है।दूसरा मुद्दा है-यह मानते हुए कि पहले प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेज (ओं) पुनर्प्राप्त करने योग्य हैं, क्या पहला प्रत्यर्थी गुण-दोष के आधार पर उसके द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर विचार करने का हकदार होगा जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

/

7. पहले मुद्दे का जवाब देने के लिए इस न्यायालय ने 18 जनवरी, 2018 के आदेश द्वारा एन. आई. सी. को निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया हैः

/

/

“क्या प्रत्यर्थी-बोलीदाता-शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपलोड किया गया डेटा, जिसकी रसीद को 'फ्रीज बटन' दबाने अंतर्गत उनकी कथित विफलता के कारण स्वीकार नहीं किया गया था, इस समय तक अपरिवर्तनीय रूप से खो गया है और इसे किसी भी परिस्थिति अंतर्गत पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है? "

8. 18 जनवरी, 2018 के उपरोक्त आदेश के अनुसार एन. आई. सी. ने 23 जनवरी, 2018 को एक शपथपत्र दायर किया है जिसअंतर्गत कहा गया है कि पहले प्रतिवादी द्वारा अपलोड किए गए डेटा को एन. आई. सी. और महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से या भारत सरकार के मौजूदा ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत किसी भी परिस्थिति अंतर्गत अलग-अलग प्राप्त नहीं किया जा सकता है।23 जनवरी, 2018 के उपरोक्त शपथपत्र के पैराग्राफ 7 में एन. आई. सी. ने यह भी कहा हैः

/

/

“7. जहां तक एन. आई. सी. का संबंध है, वह अमान्य बोली दस्तावेजों तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि उसके पास न तो कुंजी है और न ही किसी पैकेट/लिफाफा/कवर से संबंधित इसे डाउनलोड करने की अनुमोदित प्रक्रिया है।भले ही महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण (याचिकाकर्ता) के पास चाबियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन उस चाबियों के साथ भी बोली दस्तावेजों को इस समय पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि बोली का उद्घाटन कार्यक्रम पहले ही समाप्त हो चुका है।इस प्रकार बोली दस्तावेजों को ई-निविदा प्रणाली से किसी भी परिस्थिति अंतर्गत पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। "

/

/

9. उपरोक्त के अलावा, एन. आई. सी. द्वारा दायर जवाबी शपथपत्र में कहा गया है कि पहले प्रतिवादी द्वारा अपलोड की गई बोली अमान्य थी क्योंकि उक्त प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने 'फ्रीज बटन' नहीं दबाया था जो अकेले बोली प्रक्रिया को पूरा करता।इस संबंध में, एन. आई. सी. ने आगे कहा है कि 27 जुलाई, 2017 को संबंधित समय अवधि के दौरान सर्वर में कोई समस्या नहीं थी और 427 बोली दस्तावेज (अन्य निविदाओं से संबंधित) उक्त तिथि यानी 27 जुलाई, 2017 को 1200 घंटे से 1300 घंटे के बीच अपलोड किए गए थे।एन. आई. सी. ने अपने शपथपत्र में आगे कहा है कि यदि पहले प्रतिवादी ने 27 जुलाई, 2017 को 1216 बजे दस्तावेज़ अपलोड किए थे और उसे बोली जमा करने की स्वीकृति नहीं मिली थी, तो उसके पास मदद के लिए एन. आई. सी. से संपर्क करने के लिए 44 मिनट थे, लेकिन मदद नहीं मांगी गई थी।इस संबंध में, एन. आई. सी. ने आगे कहा है कि पहले उत्तरदाता-बोलीदाता ने पहले महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल में ई-निविदा में भाग लिया था और इस प्रकार वह पूरी प्रक्रिया से परिचित था।

/

/

/

10. यदि एन. आई. सी., जिसने ई-पोर्टल विकसित किया था जिसमें बोलियां प्रस्तुत की जानी थीं और रखरखाव और रखरखाव उसकी जिम्मेदारी थी, ने अपने शपथपत्र में कहा था कि ऊपर क्या संकेत दिया गया है, तो हम यह नहीं देखते हैं कि पहले प्रतिवादी की ओर से बार-बार दिए गए बयान कि बोली दस्तावेजों को अभी भी पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, यदि भारत सरकार के दिशानिर्देशों से परे यात्रा करके आवश्यक हो, तो हमें स्वीकृति के लिए सराहना करनी चाहिए। इस संबंध में प्रथम प्रतिवादी श्री अरुण ओमकारलाल गुप्ता के सलाहकार द्वारा दी गई राय, जिस पर प्रथम प्रतिवादी द्वारा बहुत अधिक जोर और निर्भरता रखी गई है, शायद ही उस स्थिति में प्रश्न का निर्धारण कर सकती है जब पोर्टल विकसित करने वाले एन. आई. सी. ने न्यायालय के समक्ष शपथपत्र पर कहा था कि महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से भी दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति संभव या संभव नहीं है।इसके अलावा, पहले प्रत्यर्थी की किसी भी समय पर प्रतिक्रिया की कमी जब प्रणाली ऐसी स्थिति में बोली दस्तावेजों की स्वीकृति उत्पन्न करने में विफल रही थी जहां पहले प्रत्यर्थी ने 'फ्रीज बटन' दबाने का दावा किया था; अन्य बोलीदाताओं के संबंध में स्वीकृति का उत्पादन और प्रौद्योगिकी में किसी भी गड़बड़ी का अभाव दृढ़ता से इंगित करेगा कि पहले प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बोली एक वैध बोली नहीं थी और उच्च न्यायालय द्वारा पहले प्रत्यर्थी के पक्ष में जारी किए गए निर्देश वस्तुतः उक्त प्रत्यर्थी को दूसरा अवसर प्रदान करते हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।11. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम यह विचार रखने के लिए इच्छुक हैं कि उच्च न्यायालय 28 सितंबर, 2017 के आक्षेपित निर्णय/आदेश के पैराग्राफ 15 में निहित ऊपर निकाले गए निर्देशों को जारी करने में सही नहीं था।इसलिए, उनमें भी हस्तक्षेप किया जाता है।तदनुसार अपील की अनुज्ञात जाती है।

/

/

/

/

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

/

/